30/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप०। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रावली वास्ते पुनः तहरीरी जवाबी वास्ते पत्रावली दिनांक 6/8/25 को पेश हो। Ny

6.8.25. पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ। पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। वकील वादी का वाद खारिज किया जाता है। आदेश पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रेकार्ड रूम हो। Wb

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 103/2023
गीता बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

1. गीता पुत्री माधु उम्र बालिग
2. सीता देवी पुत्री माधु उम्र बालिग
3. भैरू पुत्र माधु उम्र बालिग
4. गोपाली पत्नी भोलू उम्र बालिग
5. फोरन्ता पुत्री भोलू उम्र बालिग
6. शैतान पुत्र भोलू उम्र बालिग

सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम झीरोता तहसील अराई जिला अजमेर राज.

प्रार्थीगण

बनाम्

राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, अराई, जिला अजमेर राज.

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

आदेश

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादीगण के कब्जे काश्त सहखातेदारी की कृषि आराजी वाके ग्राम झीरोता पटवार हल्का झीरोता भू. अभि. नि. क्षेत्र ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज. में निम्न खसरान की स्थित है:—

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)
नया 213 पुराना 187	1226	0.2912
	131	0.1052
	136	0.1214
	137	0.2670
	142	0.2103
	1522 / 202	0.3236
	1657 / 729	0.2912
	1831 / 142	01214 3
	202	0.6068
	26	1.2944
	49	1.0193
	668	0.0728
	740	0.2103

763	0.0243
89	3.5596

कुल किता 15 का कुल रकबा 8.5188 हैक्टेयर है जिस पर प्रार्थीगण बतौर सहखातेदार काबिज है। जिसके सेमीग्रेशन के नक्शे में सहवन से राजस्व रिकार्ड में 90 व 101 के मध्य स्थित भूमि में कोई खसरा नम्बर अंकित नही किया गया है। उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व की है जिस पर प्रार्थीगण का स्वामित्व एंव आधिपत्य चला आ रहा है।प्रार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 89 जिसका हिस्सा खसरा 101 व 90 के बीच में भी है जो वर्तमान नक्शे में दर्शित अनुसार दो टुकडे कर अलग–अलग दर्शित किया गया है।प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सरकारी आदेश के इन्द्राज करने से छोडकर मात्र खसरा नं. 89 को उपर का हिस्सा ही दर्शित किया है जबकि नीचे वाले हिस्से पर कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं किया है। जिसके कारण प्रार्थीगण को मुश्किलों का सामना करना पड रहा है जिसको दुरूस्त करवाकर प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि आराजी के नक्शे को दुरूस्त करवाना चाहते है।उपरोक्त नक्शे में हुई त्रुटी कारण प्रार्थीगण को अपने–अपने हिस्से की कृषि आराजी को अन्तरित करने अथवा ऋण आदि प्राप्त करने में तथा अनुदान प्राप्त करने में व विकास कार्य करने तथा राज्य सरदार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाए, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा नक्शे में दुरुस्ती कर खसरा नम्बर अंकित किये जाने का इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में पारित किया जाना निवेदन किया गया है ।

प्रकरण को दिनांक 22.12.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 103/2023 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.4.2024 को अप्रार्थीगण 1 के तामिलशंदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए । पेरोकार सरकार तहसीलदार अराई का जवाब प्राप्त हुआ । पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में यह अंकन किया है। कितहसील अराई के राजस्व रिकार्ड अनुसार ख0नं0 90 और 101 के मध्य स्थित भूमि में कोई खसरा नं0 अंकित नही है । ख0नं0 89 जिसका एक हिस्सा खं0नं0 90 और 101 के बीच में भी नक्शा शीट व ऑनलाईन नक्शे में दर्शित है । खं0नं0 89 दो अलग अलग टुकडो में दर्शित है तथा दूसरा टूकडा ख0नं0 89 का ही हिस्सा है । अतः उक्त वाद का कोई औचित्य नही है । अतः उक्त वाद खारिज योग्य है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)